



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274535
CG-DL-E-16072026-274535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 536]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 594(अ) .— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 113 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (2) के खंड (ग) और (यड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसी अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2026 है
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम भारत के नागरिकों पर लागू होंगे, जो नियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
3. परिभाषाएँ —
 1. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) अधिनियम से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है
 - (ख) “सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र” से इन नियमों के अधीन जारी किया गया सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
 - (ग) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र ई-मॉड्यूल से महानिदेशक द्वारा स्थापित और अनुरक्षित वेब-आधारित प्रणाली अभिप्रेत है।
 - (i) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करने, नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करना और इन नियमों के अधीन अन्य प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना; और
 - (ii) ऐसी आवेदनों और प्रमाणपत्रों से संबंधित सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को संरक्षित करना, बनाए रखना और उन तक पहुंच प्रदान करना अभिप्रेत है ;
 - (घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ङ.) जारी करने वाला प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 3 के खंड (61) में यथा परिभाषित पोत परिवहन स्वामी अभिप्रेत है; और
 - (च) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
 2. उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
4. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड - सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी आवेदक निम्नलिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा, अर्थात्:
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक होगा ;
 - (ख) आवेदक के पास अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार जारी किया गया वैध चिकित्सीय प्रमाणपत्र होना चाहिए;
 - (ग) आवेदक के पास अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित विधिमान्य प्रमाण पत्र होने चाहिए, अर्थात्:
 - (i) व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीकें;

- (ii) अग्नि निवारण और अग्निशमन;
- (iii) प्रारम्भिक उपचार ;
- (iv) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व ; और
- (v) नाम निर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण;

(घ) आवेदक की आयु सोलह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;

(ङ) आवेदक ने केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी विदेशी संस्था से समतुल्य अर्हता प्राप्त की हो।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "समतुल्य अर्हता" पद से भारतीय मानकों के समतुल्य अर्हता जो भारत में विदेशी विद्यालय प्रमाणपत्रों को समतुल्यता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधिकृत किसी सरकारी निकाय द्वारा यथा प्रमाणित है; और

(च) आवेदक ऐसी अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

5. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन - (1) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप-1 में जारी करने वाले प्राधिकारी को आवेदन करेगा और अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

(2) जहां जारी करने वाले प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि आवेदक नियम 4 में उपबंधित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, वहां जारी करने वाला प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्ररूप-2 में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र जारी करेगा।

(3) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र आवेदक द्वारा उनके आवेदन में उपबंधित पते पर त्वरित माध्यम से भेजा जाएगा:

परंतु , अति आवश्यक मामलों में, जारी करने वाला प्राधिकारी, पोत के स्वामी से तत्काल या जलयान के जुड़ने की अपेक्षाओं का दस्तावेज संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने पर, आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र दे सकेगा।

(4) यदि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में पहुंचे बिना वापस आ जाता है, तो आवेदक उचित पहचान या दस्तावेज के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से इसे एकत्र कर सकता है।

(5) यदि आवेदक को जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो जारी किया गया सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

(6) यदि कोई आवेदक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई मिथ्या या कपटपूर्ण दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करता है, तो ऐसा आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) यदि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र के लिए कोई आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को सूचित किया जाएगा।

6. विधिमान्यता की अवधि - (1) इन नियमों के अधीन जारी किया गया सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र, इसके जारी होने या नवीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(2) यदि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि जलयात्रा के दौरान समाप्त हो जाती है, तो यह ऐसी जलयात्रा के अंत तक विधिमान्य रहेगी।

7. नवीकरण (1) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की विधिमान्यता अवधि इसकी समाप्ति की तारीख से अठारह महीने पहले या उसकी समाप्ति की तारीख के पच्चात किसी भी समय प्ररूप -3 में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से अनुसूची में फीस यथाविनिर्दिष्ट के साथ आवेदन किया जा सकता है

(2) जहां जारी करने वाले प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक नियम 4 में उपबंधित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो जारी करने वाला प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र का नवीकरण करेगा:

परंतु नियम 4 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के बदले में तत्स्थानी उन्नत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, स्वीकृत किए जाएंगे।

8. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी करना -(1) जहां भारत में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र खो जाता है, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप - 4 में संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी को पुलिस शिकायत की एक प्रति और सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

(2) जहां जलयान पर सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र खो जाता है, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी को जाच रिपोर्ट, आधिकारिक लॉगबुक प्रविष्टियों और सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप -4 के अनुसार आवेदन कर सकता है।

(3) जहां असाधारण परिस्थितियों में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र खो जाता है और लॉगबुक प्रविष्टि या अन्य अपेक्षित दस्तावेज उन परिस्थितियों के कारण उपलब्ध नहीं हैं जो संबंधित नाविक या जलयान के स्वामी के नियंत्रण से परे हैं, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र

ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप - 4 में संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी को ध्वज राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के साथ या पोत स्वामी द्वारा और सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है:

परंतु किसी जलयान पर आग लगने या किसी अन्य समुद्री खतरे के कारण प्रमाण पत्र खो जाने की दशा में, ऐसी कोई फीस नहीं ली जाएगा।

9. प्रतिस्थापन सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करना -(1) जहां सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र नष्ट, विरूपित या विकृत या फाड़ दिया गया है या सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र के पृष्ठ समाप्त हो गए हैं, धारक सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप -5 के अनुसार जारी करने वाले प्राधिकारी को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रतिस्थापन सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है

(2) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र में किसी विशिष्टियों के परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन जारी करने वाले प्राधिकारी को प्ररूप -5 में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ विधिमान्य पासपोर्ट और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज के साथ किया जाएगा।

(3) आवेदक को प्रतिस्थापन सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करने से पहले विद्यमान सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र को रद्द करना, वापस करना या निलंबन

(1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन, ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भी सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को निलंबित या वापस ले सकेगा।

(2) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन, अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए सुनवाई या विधिक कार्यवाही के दौरान आदेश में ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भी सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(3) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (3) के अधीन, जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को रोकने का निदेश दे सकेगा।

(4) जहां किसी माल की तस्करी के मामले में अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, महानिदेशक जारी करने वाले प्राधिकारी को निदेश दे सकेगा कि ऐसी नाविक का सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र ऐसी अवधि के लिए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए यथास्थिति रद्द या निलंबित कर दिया जाए.

(5) यदि जारी करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक ने किसी मिथ्या या कपटपूर्ण दस्तावेज़ या सूचना के आधार पर सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त किया है, तो जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसी सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को रद्द कर कर सकेगा।

(6) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक की मृत्यु या गायब होने की किसी भी रिपोर्ट की दशा में, संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा।

(7) रद्दकरण, वापस लिए जाने या निलंबन के लिए एक कारण सहित लिखित आदेश जारी होगा और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक को भेजा जाएगा और भारत में अन्य सभी जारी करने वाले अधिकारियों और महानिदेशक को सूचित किया जाएगा।

(8) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(9) जिस व्यक्ति का सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, वह ऐसी अवधि के लिए रद्द करने आदेश में जारी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करने से विवर्जित रहेगा।

11. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करना - (1) कोई सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक, जिसने भारत से भिन्न किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली है, जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा, जिसके पश्चात जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन के माध्यम से उसे रद्द कर देगा और ऐसी रद्द किए गए सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र को ऐसी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(2) स्थायी निःशक्तता की दशा में सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक को प्रतिकर के भुगतान के बाद जारी करने वाले प्राधिकारी को अपना सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र तुरंत अभ्यर्पित करेगा, जिसके बाद जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन के माध्यम से उसे रद्द कर देगा और रद्द किए गए सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र को उस व्यक्ति को वापस करेगा।

(3) यदि कोई सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र धारक समुद्री सेवा को बंद करना चाहता है और अपने सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो धारक अपने सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा, जिसके पश्चात जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन के माध्यम से उसे रद्द कर देगा और रद्द किए गए सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र को उस व्यक्ति को वापस करेगा।

12. फीस - (1) इन नियमों के अधीन देय फीस ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं या ऐसी अन्य फीस जो केन्द्रीय सरकार सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) फीस जारी करने वाले प्राधिकारी को सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र ई-मॉड्यूल के माध्यम से देय होगा।

13. अपील - (1) इन नियमों के अधीन जारी प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, अधिकारिता वाले प्रधान अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) प्रधान अधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा करेगा।

(3) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न होगी।

अनुसूची

फीस

[नियम 5 (1), 7 (1), 8 (1), 8 (2), 8 (3), 9 (1), 9 (2) देखें]

क्र. सं.	विशिष्टियां	भारतीय रुपये (आईएनआर) में रकम
(1)	(2)	(3)
1	सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	3000/-
2.	सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन	3000/-
3	सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के लिए आवेदन	3000/-
4.	सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के प्रतिस्थापन या परिवर्तन के लिए आवेदन	3000/-

प्ररूप -1

[नियम 5 का उप नियम (1) देखें]

भारत सरकार



प्रतीक

सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदन संख्या
2. आवेदन की तारीख
3. कार्यालय, जहां आवेदन किया गया
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम
5. पिता / विधिक संरक्षक का नाम
6. माँ का नाम . .
7. पति/पत्नी का नाम
8. लिंग
9. जन्म तारीख
10. जन्म स्थान . .
11. राष्ट्रियता
12. नाविकों की भारतीय राष्ट्रीय डेटाबेस संख्या
13. नाविकों की भारतीय राष्ट्रीय डाटाबेस जारी किए जाने की तारीख
14. उचाई (से.मी. में)
15. आँखों का रंग
16. पहचान चिह्न (यदि कोई हो)
17. विधिमान्य पासपोर्ट संख्या
18. पासपोर्ट जारी करने की तारीख
19. पासपोर्ट समाप्ति तारीख
20. पासपोर्ट जारी करने का स्थान

21. स्थायी पता
22. ई-मेल
23. दूरभाष सं. /मोबाइल सं
24. संपर्क बिंदु के ब्यौरें

क. नाम

ख. आवेदक के साथ संबंध

ग. पता

घ. दूरभाष सं. / मोबाइल सं

ङ. ईमेल आईडी

25. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पाठ्यक्रम ब्यौरें के मानक- पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम
26. महानिदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक द्वारा चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र, चिकित्सक के लिए महानिदेशक अनुमोदन संख्या, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख।
27. फीस के ब्यौरें -

क. भुगतान का माध्यम: ई-भुगतान

ख. रकम :

घोषणा

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया / विकृत नहीं किया गया है।
2. मैं यह भी पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि मुझे पहले सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, और मैंने भारत में किसी अन्य जारी करने वाले प्राधिकारी को सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मैं इस बात से अवगत हूं कि, यदि किसी भी समय, मुझे कोई भी भौतिक जानकारी छिपाने या विकृत करने के लिए पाया जाता है और जारी करने वाले प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मैंने मिथ्या या गलत जानकारी प्रस्तुत करके सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो वाणिज्य पोत परिवहन (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2026 के नियम 10 के उप नियम (5) के अनुसार मेरा सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर:.....

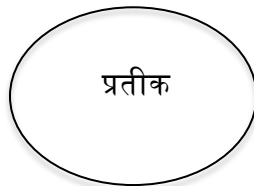
तारीख:

आवेदक का नाम: (.....)

प्ररूप -2

[नियम 5 का उप नियम (2) देखें]

भारत सरकार



सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र

भारत सरकार

फोटो

नाविक का पूरा नाम

सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र सं

पोत परिवहन मास्टर कार्यालय

जारी करने की तारीख

समाप्ति की तारीख

जन्म तारीख

राष्ट्रीयता

लिंग

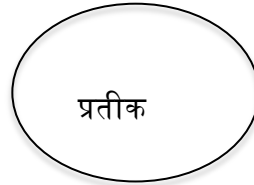
उचाई (सेमी. में)

आँखों का रंग

नाविकों की भारतीय राष्ट्रीय डाटाबेस संख्या

पहचान चिह्न
नाविक के हस्ताक्षर

भारत सरकार



प्रतीक

यह सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र वाणिज्य पोत परिवहन (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम 2026 के अधीन जारी किया जाता है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर

नाम

पदनाम



प्रमाणपत्रों के ब्यौरें

[illegible]

यात्राओं का विवरण का ब्यौरे

क्र.सं.	जलयान का नाम, आधिकारिक संख्या, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) संख्या, पत्तन की रजिस्ट्री जे डब्लू, जीटी।	नियुक्ति की तारीख और स्थान	उन्मोचन की तारीख और स्थान	नाविक की रैंक	भारत के तटीय / विदेशगामी यात्राओं का विवरण	मुहर के साथ स्वामी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						
(7)						
(8)						
(9)						
(10)						
(11)						
(12)						
(13)						
(14)						
(15)						
(16)						
(17)						

(18)						
(19)						
(20)						
(21)						
(22)						
(23)						
(24)						

नवीकरण स्टिकर के लिए स्थान

आधिकारिक उपयोग के लिए स्थान

नाविक का स्थायी पता

दूरभाष /मोबाईल _____

ई-मेल

नाविक का संपर्क बिंदु

नाम-----

संबंध _____

पता-----

दूरभाष /मोबाईल _____

ई-मेलआईडी -----

प्ररूप -3

[नियम 7 का उप-नियम (1) देखें]

भारत सरकार



प्रतीक

सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदन संख्या
2. आवेदन की तारीख
3. कार्यालय, जहां आवेदन किया गया
4. उम्मीदवार का पूरा नाम
5. पिता / विधिक अभिभावक का नाम
6. माँ का नाम . .
7. पति/पत्नी का नाम
8. लिंग
9. जन्म तारीख
10. जन्म स्थान . .
11. राष्ट्रियता
12. नाविकों का भारतीय राष्ट्रीय डेटाबेस संख्या
13. नाविकों का भारतीय राष्ट्रीय डेटाबेस जारी करने की तारीख
14. उचाई (सेमी. में)
15. आँखों का रंग
16. पहचान चिह्न (यदि कोई हो)
17. विधिमान्य पासपोर्ट संख्या

18. पासपोर्ट जारी करने की तारीख
19. पासपोर्ट की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख
20. पासपोर्ट जारी करने का स्थान
21. क्या आपका सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र इन नियमों के अधीन रद्द या वापस ले लिया गया है या निलंबित कर दिया गया है:
22. स्थायी पता
23. ई-मेल
24. दूरभाष सं. /मोबाइल सं.
25. संपर्क बिंदु का विवरण

क. नाम

ख. आवेदक के साथ संबंध

ग. पता

घ. दूरभाष सं. / मोबाइल सं.

ड. ईमेल आईडी

26. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पाठ्यक्रम व्यौरों के मानक- पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम

क. रिक्रेशर पाठ्यक्रम के व्यौरों (यदि लागू हो तो टिक करें) ☐

i. पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम

27. महानिदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक द्वारा चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डॉक्टर के लिए महानिदेशक अनुमोदन संख्या, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख।

28. फीस के व्यौरों -

a. भुगतान का मोड : ई-भुगतान

b. रकम

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है।

2. मैं इस बात से अवगत हूँ कि, यदि किसी भी समय, मुझे किसी भी भौतिक जानकारी छिपाने या विकृत करने के लिए पाया जाता है और जारी करने वाले प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि मैंने झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत करके सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो वाणिज्य पोत परिवहन (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2026 के नियम 10 के उप-नियम (5) के अनुसार मेरा सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर:.....

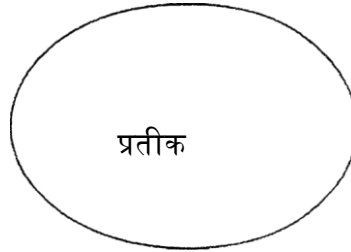
तारीख:

आवेदक का नाम: (.....)

प्ररूप -4

[नियम 8 के उप-नियम (1), (2) और (3) देखें]

भारत सरकार



प्रतीक

प्रतिस्थापन सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप

1. आवेदन संख्या
2. आवेदन की तारीख
3. कार्यालय में आवेदन किया गया
4. उम्मीदवार का पूरा नाम
5. पिता / विधिक अभिभावक का नाम
6. माँ का नाम . .
7. पति/पत्नी का नाम
8. लिंग
9. जन्म तारीख
10. जन्म स्थान . .
11. राष्ट्रियता
12. नाविकों का भारतीय और राष्ट्रीय डेटाबेस संख्या
13. नाविकों का भारतीय और राष्ट्रीय डेटाबेस जारी करने की तारीख
14. उंचाई (सेमी.में)
15. आँखों का रंग

16. पहचान चिह्न (यदि कोई हो)

17. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र:

क. संख्या:

ख. जारी करने की तारीख

ग. समाप्ति की तारीख

घ. जारी करने का स्थान

18. यदि सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र खो जाता है (यथा लागू):

क. पुलिस शिकायत सं.:

तारीख

पुलिस स्टेशन:

ख. जांच रिपोर्ट और तारीख:

ग. आधिकारिक लॉगबुक प्रविष्टि और तारीख :

घ. ध्वज राष्ट्र या जहांज के मालिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, और तारीख :

19. यदि कोई हो, पुलिस स्टेशन का नाम जिला / राज्य

20. स्थायी पता

21. ई-मेल

22. दूरभाष सं. / मोबाइल सं

23. संपर्क बिंदु के ब्यौरें

क. नाम

ख. आवेदक के साथ संबंध

ग. पता

घ. दूरभाष सं. / मोबाइल सं

ड. ईमेल आईडी

24. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पाठ्यक्रम ब्यौरें के मानक- पाठ्यक्रम का नाम,
प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम

क. रीफ्रेशर पाठ्यक्रम के ब्यौरें (यदि लागू हो तो टिक करें) ☐

i. पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम

25. फीस के ब्यौरें -

क. भुगतान का मोड: ई-भुगतान

रकम :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है।

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर:.....

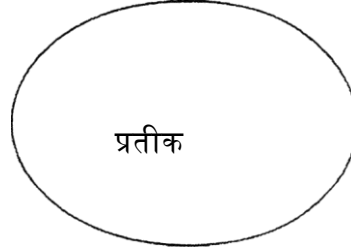
तारीख :

आवेदक का नाम: (.....)

प्ररूप - 5

[नियम 9 के उप-नियम (1) और (2) देखें]

भारत सरकार



प्रतीक

सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र के प्रतिस्थापन या परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदन संख्या
2. आवेदन की तारीख
3. कार्यालय में आवेदन किया गया
4. उम्मीदवार का पूरा नाम
5. पिता / विधिक अभिभावक का नाम
6. माँ का नाम . .
7. पति/पत्नी का नाम
8. लिंग
9. जन्म तारीख
10. जन्म स्थान . .
11. राष्ट्रीयता
12. नाविकों का भारतीय और राष्ट्रीय डेटाबेस संख्या
13. नाविकों का भारतीय और राष्ट्रीय डेटाबेस जारी करने की तारीख
14. उंचाई (सेमी. में)
15. आँखों का रंग
16. पहचान चिह्न (यदि कोई हो)
17. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र:

क. संख्या

ख. जारी करने की तारीख

- ग. समाप्ति तारीख
घ. जारी करने का स्थान
18. आपके नाविक के पहचान दस्तावेज में किसी भी विवरण के संशोधन का ब्यौरें :
19. क्या आपका सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र है:
- क. विकृत:
ख. नष्ट:
ग. विकृत:
घ. फटा
ङ. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र पत्र के पृष्ठ समाप्त हो गए हैं
20. स्थायी पता
21. ई-मेल
22. दूरभाष सं. / मोबाइल सं
23. संपर्क बिंदु का ब्यौरें :
- क. नाम
ख. आवेदक के साथ संबंध
ग. पता
घ. दूरभाष सं. / मोबाइल सं
ङ. ईमेल आईडी
24. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पाठ्यक्रम ब्यौरें के मानक- पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम
- क. रिफ्रेशर पाठ्यक्रम ब्यौरें (यदि लागू हो तो टिक करें) ☐
- i. पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या , जारी करने की तारीख , संस्थान का नाम
25. महानिदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक द्वारा चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डॉक्टर के लिए महानिदेशक अनुमोदन संख्या, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान, चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख ।
26. फीस के ब्यौरें -
- क. भुगतान का माध्यम: ई-संदाय
ख. रकम

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है।

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर:.....

तारीख: आवेदक का नाम: (.....)

[फा. सं. SY-19014/197/2025-MG]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 594(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), clauses (c) and (ze) of sub-section (2) of section 113 read with clause (c) of sub-section (1) of section 58 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — These rules shall apply to citizens of India, who fulfil the eligibility conditions specified in rule 4.

3. **Definitions.** —

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "continuous discharge certificate" means continuous discharge certificate issued under these rules;

(c) "continuous discharge certificate e-module" means a web-based system set up and maintained by the Director-General for—

- (i) facilitating submission of applications for issuance, renewal and replacement of continuous discharge certificates and facilitating other processes under these rules; and
 - (ii) preserving, retaining and granting access to secure electronic records relating to such applications and certificates;
 - (d) “Form” means a form appended to these rules;
 - (e) “issuing authority” means the shipping master as defined in clause (61) of section 3 of the Act; and
 - (f) “Schedule” means the schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
4. **Eligibility criteria for obtaining a continuous discharge certificate.** — Any applicant desirous of obtaining a continuous discharge certificate shall fulfil all the following eligibility criteria, namely: —
- (a) The applicant shall be a citizen of India;
 - (b) The applicant shall possess a valid medical certificate issued in accordance with the applicable rules made under the Act;
 - (c) The applicant shall possess the following valid certificates from an approved maritime training institute, namely: —
 - (i) Personal Survival Techniques;
 - (ii) Fire Prevention and Fire Fighting;
 - (iii) Elementary First Aid;
 - (iv) Personal Safety and Social Responsibility; and
 - (v) Security Training for Seafarers with Designated Security Duties;
 - (d) The applicant shall not be less than sixteen years of age;
 - (e) The applicant shall have passed tenth standard from a Board of School Education established or recognised by the Central Government or any State Government or hold an equivalent qualification from any foreign institution.
- Explanation.* - For the purposes of this clause, the expression “equivalent qualification” means a qualification equivalent to Indian standards as certified by any Government body authorised by the Ministry of Education to grant equivalence to foreign school certificates in India; and
- (f) The applicant shall fulfil such other eligibility criteria as may be specified by the Director-General.
5. **Application for issuance of a continuous discharge certificate.** — (1) An applicant desirous of obtaining a continuous discharge certificate shall apply to the issuing authority in the Form-I through the continuous discharge certificate e-module and pay the fee as specified in the Schedule.

(2) Where the issuing authority is satisfied that the applicant fulfils all the eligibility conditions provided in rule 4, the issuing authority shall issue the continuous discharge certificate in Form-II within thirty days from the date of receipt of application.

(3) The continuous discharge certificate shall be dispatched to the address provided by the applicant in their application through expeditious means:

Provided that in urgent cases, the issuing authority may deliver the continuous discharge certificate to the applicant in person, upon production of documentary proof of urgency or vessel joining requirements from the ship owner.

(4) If the continuous discharge certificate is returned undelivered to the office of the issuing authority, the applicant may collect the same in person from the office of the issuing authority with proper identification or documentation.

(5) In case, an applicant does not receive the continuous discharge certificate within a period of one year from the date of issuance, the issued continuous discharge certificate shall be cancelled by the issuing authority.

(6) If an applicant submits any false or fraudulent document or information for the purpose of obtaining a continuous discharge certificate, such application shall be rejected forthwith.

(7) Where any application for continuous discharge certificate is rejected on any grounds, the reasons for rejection of the application shall be intimated to the applicant.

6. **Period of validity.** — (1) A continuous discharge certificate issued under these rules shall be valid for a period of ten years from the date of its issuance or renewal.

(2) In case the period of validity of continuous discharge certificate expires during a voyage, it shall continue to be valid until the end of such voyage.

7. **Renewal.** — (1) An application for renewal of continuous discharge certificate may be made in Form-III through the continuous discharge certificate e-module along with fees as specified in the Schedule, within eighteen months prior to the date of expiry or at any time after the date of its expiry.

(2) Where the issuing authority is satisfied that the continuous discharge certificate holder fulfils all the eligibility conditions provided in rule 4, the issuing authority shall renew the continuous discharge certificate, within thirty days from the date of receipt of application:

Provided that corresponding advanced training certificates, if any, in lieu of the certificates specified in clause (c) of rule 4, shall be accepted.

8. **Issuance of a duplicate continuous discharge certificate.** — (1) Where a continuous discharge certificate is lost in India, the continuous discharge certificate holder may apply to the concerned issuing authority in Form-IV through the continuous discharge certificate e-module along with a copy of the police complaint and fee as specified in the Schedule for issuance of a duplicate copy of continuous discharge certificate.

(2) Where a continuous discharge certificate is lost onboard vessel, the continuous discharge certificate holder may apply to the concerned issuing authority as per Form-IV through the

continuous discharge certificate e-module along with the enquiry report, official logbook entries and fee as specified in the Schedule for the issuance of a duplicate copy of continuous discharge certificate.

- (3) Where a continuous discharge certificate is lost under extraordinary circumstances and the logbook entry or other required documents are not available due to circumstances which are beyond the control of the concerned seafarer or master of the vessel, the continuous discharge certificate holder may apply to the concerned issuing authority in Form-IV through the continuous discharge certificate e-module along with the documentary evidence submitted by the Flag State or by the ship owner and the fee as specified in the Schedule for the issuance of a duplicate copy of continuous discharge certificate:

Provided that in case of loss of a certificate due to fire onboard a vessel or due to any other marine peril, no such fee shall be charged.

9. **Issuance of a replacement continuous discharge certificate.** — (1) Where a continuous discharge certificate is destroyed, defaced or mutilated or torn or the pages of the continuous discharge certificate are exhausted, the holder may apply to the issuing authority as per Form-V through the continuous discharge certificate e-module along with a fee as specified in the Schedule for issuance of a replacement continuous discharge certificate.

- (2) An application for alteration or modification of any particulars in the existing continuous discharge certificate shall be made to the issuing authority in Form-V through the continuous discharge certificate e-module along with a fee as specified in the Schedule, accompanied by a valid passport and any other relevant document issued by the Central Government or State Government.

- (3) The applicant shall submit the existing continuous discharge certificate prior to the issuance of the replacement continuous discharge certificate.

10. **Cancellation, withdrawal or suspension of a continuous discharge certificate.** —

- (1) The Director-General may, under sub-section (5) of section 62 of the Act, suspend or withdraw any continuous discharge certificate, for such period as may be specified in the order.
- (2) The Director-General may, under sub-section (3) of section 99 of the Act, suspend or cancel any continuous discharge certificate for such period as may be specified in the order, during the course of the hearing or legal proceeding for any offence specified in sub-section (1) of section 99 of the Act.
- (3) The Director-General may, under sub-section (3) of section 98 of the Act, direct the issuing authority to withhold the continuous discharge certificate for such period as may be specified in such direction.
- (4) Where a seafarer is convicted of an offence under sub-section (1) of section 100 of the Act, in case of smuggling of goods, the Director-General may direct the issuing authority that the continuous discharge certificate of such seafarer be cancelled or suspended, as the case may be, for such period as may be specified in the direction.

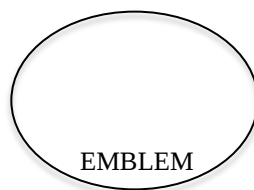
- (5) If the issuing authority is satisfied that a continuous discharge certificate holder has obtained the continuous discharge certificate based on any false or fraudulent document or information, the issuing authority may cancel such continuous discharge certificate.
 - (6) In case of any report of death or disappearance of a continuous discharge certificate holder, the continuous discharge certificate may be cancelled by the concerned issuing authority.
 - (7) Every order for cancellation, withdrawal or suspension shall be a reasoned order in writing and sent by the issuing authority to the continuous discharge certificate holder and intimated to all other Issuing Authorities in India and the Director-General.
 - (8) No order under this rule shall be passed unless the continuous discharge certificate holder has been given an opportunity of being heard.
 - (9) A person whose continuous discharge certificate is cancelled shall be debarred from applying for renewal of continuous discharge certificate for such period as may be specified by the issuing authority in the order for cancellation.
11. **Surrender of a continuous discharge certificate.** — (1) Any continuous discharge certificate holder, who has acquired citizenship of a country other than India, shall surrender the continuous discharge certificate to the issuing authority immediately, after which the issuing authority shall cancel the same by way of endorsement and return such cancelled continuous discharge certificate to such person.
- (2) In case of permanent disablement, the continuous discharge certificate holder shall surrender their continuous discharge certificate to the issuing authority immediately upon the payment of compensation, after which the issuing authority shall cancel the same by way of endorsement and return such cancelled continuous discharge certificate to such person.
- (3) If a continuous discharge certificate holder wishes to discontinue the sea-going service and requests for cancellation of their continuous discharge certificate, the holder shall surrender their continuous discharge certificate to the issuing authority, after which the issuing authority shall cancel the same by way of endorsement and return such cancelled continuous discharge certificate to such person.
12. **Fee.** — (1) The fees payable under these rules shall be such as specified in the Schedule or such other fees as the Central Government may, by notification, specify.
- (2) Fees shall be payable to the issuing authority through the continuous discharge certificate e-module.
13. **Appeal.** — (1) Any person aggrieved by any order of the issuing authority under these rules, may, within a period of sixty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the jurisdictional principal officer.
- (2) The principal officer shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal.
- (3) No order shall be passed under this rule unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.
- (4) Every appeal made under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

Schedule**Fees***[See rules 5(1), 7(1), 8(1), 8(2), 8(3), 9(1), 9(2)]*

Sr. No.	Particulars	Amount in Indian rupees (INR)
(1)	(2)	(3)
1	Application for issuance of continuous discharge certificate	3000/-
2	Application for renewal of continuous discharge certificate	3000/-
3	Application for duplicate continuous discharge certificate	3000/-
4	Application for replacement or alteration of continuous discharge certificate	3000/-

FORM - I*[See sub-rule (1) of rule 5]*

GOVERNMENT OF INDIA

**Application Form for Continuous Discharge Certificate**

1. Application Number
2. Application Date
3. Office applied to
4. Name of the Candidate in full
5. Name of Father/Legal Guardian
6. Name of Mother
7. Name of Spouse
8. Sex
9. Date of birth
10. Place of birth
11. Nationality
12. Indian National Database of Seafarers No.
13. Indian National Database of Seafarers issue date
14. Height (in cms.)
15. Colour of eyes
16. Identification mark (if any)
17. Valid passport No.
18. Passport Issue date
19. Passport Expiry Date
20. Passport Issue Place
21. Permanent address
22. E-mail
23. Tel. No. /Mobile No.
24. Details of Point of Contact
 - a. Name
 - b. Relationship with the applicant
 - c. Address
 - d. Tel. No./Mobile No.
 - e. Email ID
25. Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers course details- Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
26. Medical fitness certificate by the Director-General approved medical examiner- Name of the doctor, Director-General approval No. for doctor, Place of issue of medical fitness certificate, Date of issue of medical fitness certificate.
27. Details of fee-
 - (a) Mode of payment: E-payment
 - (b) Amount:

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed/distorted.
2. I also affirm and declare that I have not been previously issued with a continuous discharge certificate, and I have not submitted an application for continuous discharge certificate to any other issuing authority in India.
3. I am aware that, if at any time, I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reasons to believe that I have obtained the continuous discharge certificate by presenting false or erroneous information, my continuous discharge certificate will be cancelled forthwith as per sub-rule (5) of rule 10 of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2026.

Place:

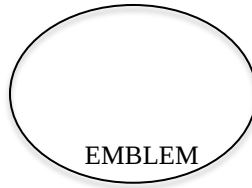
Signature of the Applicant:

Date:

Name of the Applicant: (.....)

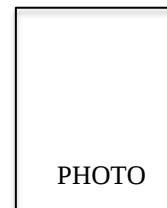
FORM - II*[See sub-rule (2) of rule 5]*

GOVERNMENT OF INDIA



CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

GOVERNMENT OF INDIA



Name of Seafarer in full

Continuous discharge certificate No.

Shipping Master Office

Date of issue

Date of expiry

Date of birth

Nationality

Sex

Height (in cms.)

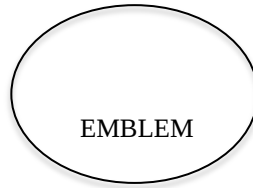
Colour of eyes

Indian National Database of Seafarers No.

Identification mark

Seafarer's signature

GOVERNMENT OF INDIA

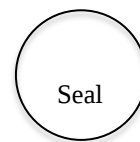


This continuous discharge certificate is issued under the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules 2026.

Signature of issuing authority

Name

Designation



Details of certificates

[illegible]

Details of Voyages

Sr. No.	Name of vessel, Official No., International Maritime Organisation (IMO) No., Port of Registry, Kw, GT.	Date and place of engagement	Date and place of discharge	Rank of seafarer	Description of Voyages Foreign Going/Near Coastal Voyage Indian Coastal	Signature of master with seal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						
(7)						
(8)						
(9)						
(10)						
(11)						
(12)						
(13)						
(14)						
(15)						
(16)						
(17)						
(18)						

(19)						
(20)						
(21)						
(22)						
(23)						
(24)						

Space for Renewal Sticker

Space for official Use

PERMANENT ADDRESS OF SEAFARER

Tel. No. /Mobile No. _____

E-mail _____

POINT OF CONTACT OF SEAFARER

Name _____

Relationship _____

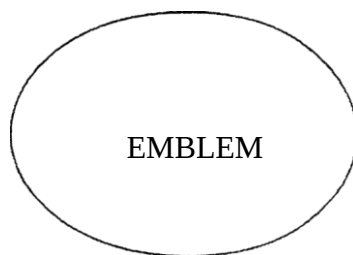
Address _____

Tel No. /Mobile No. _____

E-mail ID _____

FORM - III

[See sub-rule (1) of rule 7]
GOVERNMENT OF INDIA

**APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE**

1. Application Number
2. Application Date
3. Office applied to
4. Name of the Candidate in full
5. Name of Father/Legal Guardian
6. Name of Mother
7. Name of Spouse
8. Sex
9. Date of birth
10. Place of birth
11. Nationality
12. Indian National Database of Seafarers No.
13. Indian National Database of Seafarers issue date
14. Height (in cms.)
15. Colour of eyes
16. Identification marks (if any)
17. Valid passport No.
18. Passport Issue date
19. Passport Expiry Date
20. Passport Issue Place
21. Has your continuous discharge certificate been cancelled or withdrawn or suspended under these rules:
22. Permanent address
23. E-mail
24. Tel. No. /Mobile No.
25. Details of Point of Contact
 - a. Name
 - b. Relationship with the applicant
 - c. Address
 - d. Tel. No./Mobile No.
 - e. Email ID

26. Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers course details- Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
- a. Refresher Course details (*Tick if applicable*) ☐
- i. Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
27. Medical fitness certificate by the Director-General approved medical examiner- Name of the doctor, Director-General approval No. for doctor, Place of issue of medical fitness certificate, Date of issue of medical fitness certificate.
28. Details of fee-
- c. Mode of payment: E-payment
- d. Amount

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.
2. I am aware that, if at any time, I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reasons to believe that I have obtained the continuous discharge certificate by presenting false or erroneous information, my continuous discharge certificate will be cancelled forthwith as per sub-rule (5) of rule 10 of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2026.

Place:

Signature of the Applicant:

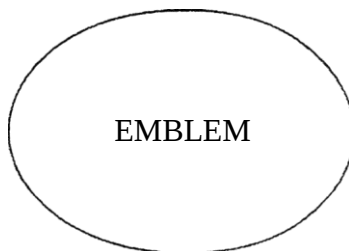
Date:

Name of the Applicant: (.....)

FORM - IV

[See sub-rules (1), (2) and (3) of rule 8]

GOVERNMENT OF INDIA

**APPLICATION FORM FOR DUPLICATE OF CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE**

1. Application Number
2. Application Date
3. Office applied to
4. Name of the Candidate in full
5. Name of Father/Legal Guardian
6. Name of Mother
7. Name of Spouse
8. Sex
9. Date of birth
10. Place of birth
11. Nationality
12. Indian National Database of Seafarers No.
13. Indian National Database of Seafarers issue date
14. Height (in cms.)
15. Colour of eyes
16. Identification mark (if any)
17. Continuous Discharge Certificate:
 - a) Number:
 - b) Issue date
 - c) Expiry date
 - d) Issue Place
18. In case continuous discharge certificate is lost (as may be applicable):
 - a) Police Complaint No.:
Date
Police Station:
 - b) Enquiry report and date:
 - c) Official logbook entry and date:
 - d) Documentary evidence submitted by the Flag State or by the ship owner, and date:
19. If any, Name of police station District/State
20. Permanent address
21. E-mail

22. Tel. No. /Mobile No.
23. Details of Point of Contact
 - a. Name
 - b. Relationship with the applicant
 - c. Address
 - d. Tel. No./Mobile No.
 - e. Email ID
24. Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers course details- Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
 - a. Refresher Course details (*Tick if applicable*) ☐
 - i. Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
25. Details of fee-
 - a. Mode of payment: E-payment
 - b. Amount:

Declaration

I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.

Place:

Signature of the Applicant:

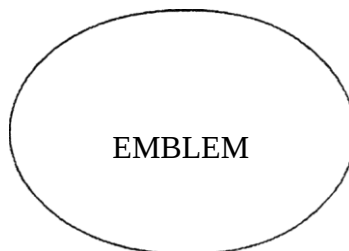
Date:

Name of the Applicant: (.....)

FORM - V

[See sub-rules (1) and (2) of rule 9]

GOVERNMENT OF INDIA



**APPLICATION FORM FOR REPLACEMENT OR ALTERATION OF CONTINUOUS DISCHARGE
CERTIFICATE**

1. Application Number
2. Application Date
3. Office applied to
4. Name of the Candidate in full
5. Name of Father/Legal Guardian
6. Name of Mother
7. Name of Spouse
8. Sex
9. Date of birth
10. Place of birth
11. Nationality
12. Indian National Database of Seafarers No.
13. Indian National Database of Seafarers issue date
14. Height (in cms.)
15. Colour of eyes
16. Identification mark (if any)
17. Continuous Discharge Certificate:
 - a) Number
 - b) Issue date
 - c) Expiry date
 - d) Issue Place
18. Details of modification of any particulars in your seafarer's identity document:
19. Whether your continuous discharge certificate is:
 - a) defaced:
 - b) destroyed:
 - c) mutilated:
 - d) torn:
 - e) pages of the continuous discharge certificate are exhausted
20. Permanent address
21. E-mail
22. Tel. No./Mobile No.

23. Details of Point of Contact:
- Name
 - Relationship with the applicant
 - Address
 - Tel. No./Mobile No.
 - Email ID
24. Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers course details- Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
- a. Refresher Course details (Tick if applicable) ☐
- Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
25. Medical fitness certificate by the Director-General approved medical examiner- Name of the doctor, Director-General approval No. for doctor, Place of issue of medical fitness certificate, Date of issue of medical fitness certificate.
26. Details of fee-
- Mode of payment: E-payment
 - Amount

Declaration

I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.

Place:

Signature of the Applicant:

Date:

Name of the Applicant: (.....)

[F. No. SY-19014/197/2025-MG]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.